तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1. निगरानी / टी.ए. / 5384 / 2022 / नागौर **2. निगरानी / टी.ए. / 5386 / 2022 / नागौर** **हनुमानराम बनाम मुकेश कुमार**	

एकल–पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
श्री सहदेव चौधरी, अभिभाषक अप्राथी की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 21–02–2024

उक्त दोनों निगरानियां उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 102 / 2021 एवं 17 / 2021 में पारित आदेश दिनांक 01–09–2022 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त दोनों निगरानियों के तथ्य, विषय–वस्तु एवं पक्षकारान समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

अभिभाषकगण उभयपक्ष की निगरानी पर बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी की ओर से मुख्य तर्क दिया कि वादी / प्रार्थी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वर्तमान अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 10 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के न्यायालय के प्रस्तुत किया। वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थनापत्र भी पेश किया। वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान दिनांक 13–07–2022 को अप्रार्थी संख्या 1 मुकेश कुमार द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते शीघ्र सुनवाई एवं आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह स्व0 पन्नाराम का जाईंदा पुत्र है। उसकी माता का नाम संतोषी देवी है। इसकी माता का विवाह पन्नाराम से हुआ था। माता–पिता की अनबन होने से वे अलग रहने लगे और वह माता के साथ रहा। जब उसे पता चला कि स्व0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. निगरानी / टी.ए. / 5384 / 2022 / नागौर** **2. निगरानी / टी.ए. / 5386 / 2022 / नागौर** **हनुमानराम बनाम मुकेश कुमार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पन्नाराम के उसके पिता है तो बालिग होने पर वह अपने पिता के पास आकर रहने लगा और उनकी सेवा चाकरी की। उनकी मृत्यु होने पर हिन्दू रीति रिवाज से समस्त कार्यक्रम, रस्में अदा की। इस कारण वही एकमात्र पुत्र है और अपने पिता की आराजीयात पर उसका एकमात्र अधिकार है। चूंकि उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में वह आवश्यक पक्षकार है। अतः उसे वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र पर बहस सुनकर आक्षेपित आदेश दिनांक 01–09–2022 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थनापत्र को सरसरी तौर पर स्वीकार कर लिया। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत करने का प्रार्थी को समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी और ऐसा मानने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा कयासों के आधारों पर उसे आवश्यक पक्षकार मानते हुए बड़े अजीब ढंग से आक्षेपित आदेश दिनांक 01–09–2022 पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः उक्त दोनों निगरानियां स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या 102 / 2021 एवं 17 / 2021 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–09–2022 निरस्त किए जावें साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया। अधीवक्ता अप्रार्थी ने प्रकरण संख्या 102 / 2021 एवं 17 / 2021 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. <u>निगरानी / टी.ए. / 5384 / 2022 / नागौर</u>** **2. <u>निगरानी / टी.ए. / 5386 / 2022 / नागौर</u>** **<u>हनुमानराम बनाम मुकेश कुमार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	01–09–2022 को समुचित बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। अपने पक्ष के समर्थन में 2006 आर आर डी 685 का न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किया। अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने इसके समर्थन में कुछ दस्तावेज की फोटोप्रति प्रस्तुत की जिनमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा 2010 की अंकतालिका में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का नाम गणपतराम अंकित है। इसी प्रकार राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, विवाह कार्ड, परिवार पहचान दस्तावेज, स्टेट बैंक की पासबुक में भी उसके पिता का नाम गणपतराम अंकित है। इन सबसे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का नाम गणपतराम अंकित हो रखा है। दिनांक 12–02–1997 की तहरीर में भी अंकित है कि पन्नाराम के एक लड़का है जो अभी छोटा है जो अपनी नानी के पास रहता है जो बड़ा हो जाएगा तब अपने पिता के पास चला जाएगा। गंगा जी की बही का दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है। उक्त समस्त दस्तावेज साक्ष्य के मोहताज हैं जिनके निर्धारण हेतु तनकी बनाई जाकर साक्ष्य लिया आवश्यक है ताकि समुचित निर्णय पर पहुंचा जा सके। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में Social Father के साथ रह रहा है और वहीं इन दस्तावेजों का सर्जन हुआ है परंतु उसके पुत्र होने का बिंदु, अपने पूर्व पिता की संपति में हिस्सा प्राप्त करने का बिंदु वाद में साक्ष्यों के आधार पर तय होगा। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि मुकेश कुमार चाहे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. निगरानी / टी.ए. / 5384 / 2022 / नागौर** **2. निगरानी / टी.ए. / 5386 / 2022 / नागौर** **हनुमानराम बनाम मुकेश कुमार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तो पृथक से अधिकारों की घोषणा का वाद ला सकता है। हमारी सुविचारित राय में न्यायालय का यह भी दायित्व है कि वादों की बहुलता नहीं हो, ऐसे में प्रभावित / आवश्यक पक्षकार को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर लिया जाना चाहिए जिसे दृष्टिगत रखते हुए ही विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 को पक्षकार संयोजित किया है जो न्यायोचित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वर्तमान दावा डिग्री हो जाएगा तो मुकेश कुमार के अधिकारों का सृजन कैसे होगा यह भी विचारणीय बिन्दु है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी संख्या 1 को पक्षकार बनाने का आदेश प्रदान किया है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। हम विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 01–09–2022 से पूर्णतया सहमत हैं एवं उनमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में उक्त दोनों निगरानियां खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 102 / 2021 एवं 17 / 2021 में उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–09–2022 यथावत रखे जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	